

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :::: मांगेराम पूनियां R.T.S.
मिसल नं. :::: 18/2018

सरकार बनाम राजेन्द्र पुत्र ओंकारमल, जाति-मेघवाल,
निवासी-काकोड़ा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 09.03.2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका पुत्र अनिल कुमार उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल राजेन्द्र पुत्र ओंकारमल, जाति-मेघवाल, निवासी- काकोड़ा द्वारा रोही मौजा काकोड़ा की राजकीय भूमि ख.नं. 1030/260 कुल रकबा 23.36 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से 100 वर्गमीटर भूमि पर छड़ी व कुरड़ी डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके पुत्र अनिल कुमार ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उसने छड़ी व कुरड़ी का अतिक्रमण हटा लिया है। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नहीं माना जाता सकता। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फौसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

स० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 50 पर
वर्ष 2017-18 में रुपये 51 कायम हैं।

राजस्थान

कि
(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़